

15-11-17

वकील अजीत प्रवीण स्वयं अपीलाट कार्ड उपस्थित
प्राथी स्वयं व उनके अभिभावक को बार-बार
आवाजे' दिलाई गई। प्राथी की डोर भी
कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्राथी पर
कन्टेम्प्ट अदम हाजरी व अदम धरवी में
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली के सब शुभार
होकर बाद तकनील जाब्तों हाविल दफतर हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर